

## कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1100 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, नवम्बर 09 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

**विषय :** जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.600 कि०मी०) के निर्माण हेतु आपेक्षित 5.6325 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव ।

**संदर्भ :** प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16964/2015  
महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 10/08/2016 को आपके माध्यम से प्राप्त रीजनल ऑफिस की क्वैरी व दिनांक 19.10.2016 को आपकी ऑन लाइन आपत्ति का निराकरण कर बिन्दु वार आख्या निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला व यूजर ऐजेन्सी द्वारा क्वैरी के सम्बन्ध प्रेषित आख्या की प्रति संलग्न है।

क्र० सं०	शासन द्वारा की गई क्वैरी का विवरण	निराकरण आख्या
1	The total area of village wise break up does not match with the area proposed for diversion in Part I. The State Govt may do the necessary correction.	Query (point no. 1 to 9) has been resolved by user agency as per reply point no. 1 to 9 of their letter no कैम्प/भूमि-21 dated 28/10/2016 attached herewith.
2	The State Govt has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map without showing geo-coordinates which is not acceptable. The State Govt may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part I.	
3	The State Govt may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 11.265 ha providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Google earth map will not accepted for the purpose.	
4	The State Govt may provide/upload correct KML file for CA in Part II.	
5	The State Govt may review the density of the area in view of the number of trees proposed to be felled in the area and correct the NPV calculation in hard copy as well as in online Part II.	
6	In the Cost Benefit analysis uploaded in the Part I in both performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms. Cost over Benefit ratio may also be worked out.	

7	Employment details provided in online Part I is seems to be incorrect. The State Govt may review the information and provide correct information if required.	
8	The CA scheme is uploaded in Part II is only for area of 10.44 ha while it should be prepared for twice the area proposed for diversion i.e. 11.265 ha. The State Govt may provide revised CA scheme and upload the same in online part II.	
9	Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in Part I is issued in the year 2005. May clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17	
10	As per the tree enumeration list attached with the proposal out of 325 trees in forest area 44 trees are of dia 0-10 cm and the value should come 281 in online Part II but the number of trees proposed to be felled in online Part II is 313. The State Govt may rectify the same and give correct details in online Part II.	Query (point no.10) has been resolved by D.F.O. Tons as per reply point no. 10 of their letter no 833/12-1 dated 05/11/2016 attached herewith.
11	The CA stipulated does not commensurate with the total area diverted in the district. The State Govt may do the necessary correction in online Part II in the district profile and give complete and correct detail with proper justification of poor progress of CA in additional document if required.	Query (point no.11) has been resolved by D.F.O. Tons as per reply point no. 11 of their letter no 833/12-1 dated 05/11/2016 attached herewith.
12	The map uploaded in online Part I indicating alternate examined is not visible. The state Govt may upload the clear visible copy of the map.	Query (point no. 12) has been resolved by user agency as per reply point no. 12 of their letter no कैम्प/भूमि-21 dated 28/10/2016 attached herewith.

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
( जन्मेजय सिंह )  
वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि

प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला को उनके पत्रांक 833/12-1 दिनांक 05-11-2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

( जन्मेजय सिंह )  
वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक- 833 / 12-1 दिनांक, पुरोला, 05 नवम्बर, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

**विषय:-** जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट -कलीच-थुनारा-डामटी मोटर मार्ग (लं0 7.600 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 5.6325 है0 वन भूमि (संरक्षण) वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

**सन्दर्भ:-** आपका पत्रांक सं0 389/12-1 (1) दिनांक 11.08.2016। प्रस्ताव सं0 - एफ0पी0/यू0के0/रोड़/16964/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण करवाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0 417/12-1 दिनांक 24.08.2016 व पत्रांक सं0 763/12-1 दिनांक 25.10.2016 से अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला को उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली आपत्तियों का निस्तारण कर शीघ्र इस कार्यालय को समस्त अभिलेखों सहित उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला द्वारा अपने पत्रांक सं0 कैम्प/वन भूमि-21 दिनांक 28.10.2016 से आपत्ति के बिन्दु सं0 1 से 9 तथा बिन्दु सं0 12 का निस्तारण संलग्न पत्र के अनुसार किया गया है। बिन्दु सं0 10 व 11 का निस्तारण इस वन प्रभाग द्वारा निम्न प्रकार किया जा रहा है।

**बिन्दु सं0 10-** में भाग-2 प्रपत्र में काटे जाने वाले वृक्षों की सं0 281 के स्थान पर 313 लिखी गई जो भूलवश लिखा गया जबकी भाग-2 प्रपत्र में काटे जाने वाले वृक्षों की सं0 281 है जिनको कि अब भाग-2 प्रपत्र में सही कर दिया गया है।

**बिन्दु सं0 11-** उत्तरकाशी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 844792.45 है0 है। जिले का वन क्षेत्र 89379.711 हस्तांतरित वन भूमि के सापेक्ष अब तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सका है क्योंकि विगत वर्षों में धनाभाव के कारण शत प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सका। आगामी वर्षों में क्षतिपूरक के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)  
E-Mail – eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक ५/वनभूमि-२१

दिनांक २४ / १० / २०१६

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी  
टौन्स वन प्रभाग,  
पुरोला।

आ/०/२०  
आ.का.स.२  
३००१/३११

**विषय :-** जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग (लम्बाई ७.६०० किमी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित वनभूमि ५.६३२५ है० वनभूमि (वन संरक्षण) अधिनियम १९८० के अन्तर्गत गैर वानिकी स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्रांक ४१७/१२-१ दिनांक २४/८/२०१६

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लगाई अपत्तियों का निराकरण करते हुये संगत बिन्दुवार संलग्नक/आख्या निम्नवत है :-

आपत्ति	निराकरण
1-The total area of village wise breakup does not match with the area proposed for diversion in part I. The State Govt may do the necessary correction.	खण्डीय स्तर पर अपलोड फार्म- A में पार्ट- I के बिन्दु सं० B-2.3 पर ठीक कर दिया गया है।
2-The State Govt has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated digital map without showing geo-coordinates which is not acceptable. The State Govt. may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on excat to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part I.	फार्म- A में पार्ट- I के बिन्दु सं० C-(IV) में ठीक कर दिया गया है।
3-The State Govt. may provide /upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 11.265 ha providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Google earth map will not be accepted for the purpose.	फार्म- A में पार्ट- I के बिन्दु सं० C-(V) में ठीक कर दिया गया है।
4-The State Govt may provide/upload correct KML file for CA in part-I	फार्म- A में पार्ट- I के बिन्दु सं० L-(IV)- C में ठीक कर दिया गया है।
5-The state Govt may review the density of the area in view of the number of trees proposed to be felled in the area and correct the NPV calculation in hard copy as well as in online Part-II	प्रस्तावित समरेखण में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या ३२५ है, एवं जिसका घनत्व ०.६ है। एवं प्रस्ताव के प्रारूप ५० में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटीवश ५.२२० है० अंकित हो गया था जबकि वास्तविक क्षेत्रफल ५.६३२५ है० है। हार्ड कापी में एन०पी०वी० की धनराशि ४४१०९००.०० त्रुटीवश दर्शायी गयी थी जबकि एन०पी०वी० की वास्तविक धनराशि ४७५९४६२.५० आती है। जिसे ऑनलाईन प्रस्ताव के फार्म- A में पार्ट- I के अतिरिक्त संलग्नक के क्रमांक सं० ३८ पर संलग्न कर दिया गया है। पार्ट- II में उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला द्वारा भरी जानी है। (एन०पी०वी० प्रमाण पत्र संलग्न)
6-In the cost benefit analysis uploaded in the part I in both performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms Cost over Benefit ratio may also be worked out.	फार्म- A में पार्ट- I के बिन्दु सं० G-(a) में संलग्न कर दिया गया है।

०५२

7-Employment details provided in online part-I is seems to be incorrect the State Govt. May review the information and provide correct information if required.	खण्डीय स्तर पर पूर्व में नियमित अधिकारी/कर्मचारी होने के कारण नियमित रोजगार दिवसों की संख्या का आकलन प्रस्ताव में नहीं किया गया है। अपितु परियोजना के पूर्ण होने में अस्थाई 19716 रोजगार दिवस पैदा होने की सम्भावना होगी।
8- The CA scheme is uploaded in Part II is only for area of 10.44ha while it should be prepared for twice the area proposed for diversion ie 11.265ha. The State Govt. may Provide revised CA scheme and upload the same in online part-II	फार्म- A में पार्ट-। के बिन्दु सं० L(IV)-(b) 11.265 है० ठीक कर दिया गया है। सी०ए० स्कीम फार्म-A पार्ट-। के अतिरिक्त संलग्नक के क्रमांक सं० 39 पर संलग्न है। पार्ट-।। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित क्षेत्रफल प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला के स्तर से भरा जाना है।
9- Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in part I is issued in the year 2005 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2454/111(2)/05-07(प्रा०आ०)/05 टी०सी० दिनांक 28 अक्टुबर 2005 के द्वारा 9.00 किमी० लम्बाई हेतु 221.80 लाख की प्राप्त है, के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस मार्ग का 7.425 किमी० लम्बाई में 3.745 है० (7.50 मी० चौड़ाई में) वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया था, जिसे भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र के पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/06/43/2012/एफ०सी०/674 दिनांक 31/8/2012 द्वारा प्रकरण में सिविल सोयम भूमि को राज्य सरकार द्वारा Denotify कर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति को गैर कानूनी है एवं मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा एवं सिविल सोयम भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न किया जाय सूचित किया गया है। इसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र सं० 11/मिस०/बन्द/1146/यू०सी०पी०/11/1308 दिनांक 12 फरवरी 013 के द्वारा प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत बन्द/निरस्त किया गया है। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। वर्तमान में इस मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामीणों की पुनः मांग एवं वनभूमि एवं वृक्षों हानी को न्यूनतम करते हुये मार्ग का पुनः संशोधित समरेखण किया गया एवं वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को वर्तमान में प्रचलित 2014 की मार्गदर्शिका के अनुसार पुनर्जीवित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र के विकास एवं सम्बन्धित ग्राम को यातयाता की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर संस्तुति करते हुये उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें
10- As per tree enumeration list attached with the proposal out of 325 trees in forest area 44 trees are of dia 0-10cm and the value should come 281 in online part II but the number of these proposed to be felled in online part II is 313 the state Govt. may rectify the same and give correct details in online Part II	फार्म- A में पार्ट-।। में पेड़ों की संख्या प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला के स्तर से दी जानी है।
11-The CA stipulated does not commensurate with the total area diverted in the district the State Govt. may do the necessary correction in online Part II in the district profile and give complete and correct detail with proper justification of poor progress of CA in additional document if required	प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला से सम्बन्धित है।
12-The map uploaded in online Part I indicating alternate examined is not visible the state Govt may upload the clear visible copy of the map.	फार्म-A पार्ट-। के बिन्दु सं० D(a) में पुनः स्कैन करने के उपरान्त ऑनलाईन अपलोड किया गया है। जिसमें परिवर्तित समरेखण को नीले रंग से दर्शाया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वाँछित बिन्दुओं का अवलोकन करने के

उपरान्त सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-1 उपरोक्तानुसार,

23/10/15  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, पुरोला


प्रारूप-50

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच  
थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 - एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी .....5.....
2. हरियाली का घनत्व.....0.6
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0.....845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....5.6325
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि.....4759462.50

  
20/12/16  
अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
पुरोला (उत्तरकाशी)

२५५

ह0/-

प्रभास चंद वनसिंह  
टैन्स वन प्रभाग,  
पुरोला

प्रारूप-29

(5.00 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू)

**Cost Benefit Ratio calculation Performa**

**Name of the project – Construction of Aarakot Kalich**

**Thunara Damti Road in block Mori district Uttarkashi.**

Block:-

District:- Uttarkashi

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction cost of the project	221.80	
(B)	N.P.V. Amount to be deposited	47.59	
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	22.63	
(E)	Other cost if any	19.35	
	<b>Grand Total</b>	<b>308.55</b>	
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits		
	a..Market development taking 10 Shop are to be established after construction of motor road. Taking minimum benefit per shop per day @ Rs. 350.00 per day benefit for per month $10*30*350= 105000$ hence benefit for 10 shop for 1 year = $12*105000 = 1260000$ , Banefit for 50 Years = $50*1260000 = Rs. 63000000$	12.60	630.00
	b. Direct implymnt of labour, benefit of annual maintinance of the road taken 1 mate and 4 beldar for one month @ 350 Rs per day , $5*350*30= 52500$ benefit for 1 year = $630000$ Banefit for 50 Years = $50*630000 = Rs. 31500000$	6.30	315.00
	c. Employment generation due to other activitys like tranport taking 10 people will get job per month @ 8000 per month = Rs. 80000, benefit for 1 year = $80000*12 = 960000$ , benefit for 50 years Rs. = $960000*50 = Rs. 48000000$	9.60	480.00
	<b>Total Direct benefit</b>	<b>28.50</b>	<b>1425.00</b>
2.2	ii. Social Benefits		
	a. Health facilities $1042*50*500rs/yr=2605000$	5.21	260.50
	b. School facilities avaiableity of school for = $1042*50*200rs/yr=10420000$	2.08	104.20
	c. Travel facilities avaiability of traveling for	5.00	250.00
	<b>Total social benefits</b>	<b>12.29</b>	<b>614.70</b>

०५२  
AB

	iii. Ecological Benefits		
	a. Echo tourism	0.25	12.50
	b. Archilological tourism	0.15	7.50
	c.	1.00	50.00
	<b>Total ecological benefits</b>	<b>1.40</b>	<b>70.00</b>
	Other Benefits( if any )		
	a. Land value & revenue increase benefit	1.90	95.18
	b. Rehabilitation of villagers & control if migrations	4.00	200.00
	<b>Total benefits</b>	<b>5.90</b>	<b>295.18</b>
	<b>Grand Total Benefits</b>	<b>48.10</b>	<b>2404.88</b>
		<b>90.29</b>	<b>4514.58</b>
	<b>Hence cost benefit ration (B/A)= 4514.58/308.55=14.63</b>		

Hence Construction of above motor road is ecnconomically viable and socially beneficial

अधिशारी अभियंता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला

0 4/2  
AE



**Parameter for Evaluation of loss of Forests**

**Name of Project:- Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Motor Road in block Mori district Uttarkashi.**

Nature of Proposal :- New Construction

Sl.no. 1	Parameters 2	Details 3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	7.60 लम्बाई में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से कालान्तर में भरपाई हो जायेगी।
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	1.620 हे० नापभूमि चारे के क्षति नगण्य है।
3	Cost of human resettlement	कोई बस्ती विस्थापित नहीं हो रही है।
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	अवस्थापना स्थानान्तरण न होने से वनभूमि की आवश्यकता शून्य है।
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	भूवैज्ञानिक की आख्या के अनुसार भूस्खलन क्षेत्र नहीं है।
6	Suffering to oustees	शून्य

अधिशारी अभियंता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला

04/11/16  
AS

प्रारूप-29.2

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Name of Project:- Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Motor Road in block Mori district Uttarkashi.

Nature of Proposal : New Construction

Sl.no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	vegetable and fruits 150 ktl@1500=225000 मार्ग निर्माण से क्षेत्रीय जनता को रोजगार के साधन व अपने उत्पादनों को मण्डी पहुंचाने की सुविधा प्राप्त होगी।
2	Benefits to economy	About Rs 1.2 lakh milk production vegetable fruits, tourism and other mining mineral material etc.मार्ग निर्माण से मार्ग के किनारे दुकाने खुलेगी, जिससे जनता को रोजगार मिलेगी।
3	No. of population benefited.	1 ग्राम को 1042 जनसंख्या इस मोटर मार्ग के बनने से लाभान्वित होगी।
4	Employment potential.	मार्ग निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	नापभूमि 1.620 है सर्किल रेड्स- 1300750/है0 कुल रू0 2107215.00
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	कृषि भूमि का प्रतिकर भुगतान कृषकों को नियमानुसार दिया जायेगा। चारागाह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से दुग्ध व्यवसाय की क्षति नहीं होगी।
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	इस मार्ग के निर्माण से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतः मुआवजें की धनराशि शून्य है।
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	मार्ग निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को ईंधन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिशासी अभियंता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

045  
15

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

मक डिस्पोजल हेतु काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों का प्राकलन।

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

10 गुनी वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि का प्राकलन। परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल सं०  
325 न०

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे०	120.00	हे०	120.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	हे०	1,578.00	हे०	1,578.00
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फेन्सिंग) 84 घन मी० प्रति हे०	84	घन मी	291.00	हे०	24,444.00
4	मृदा जल संरक्षण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण	1	न०	9,150.00	सं०	9,150.00
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	2000	गड्डे	7.40	गड्डे	14,800.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे०	485.00	हे०	485.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत	2000	पौध	5.93	पौध	11,860.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, संयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1	हे०	489.00	हे०	489.00
<b>योग :- प्रथम चरण</b>						<b>62,926.00</b>
<b>द्वितीय चरण</b>						
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	2000	गड्डे	1.30	गड्डे	2,600.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिशत	2000	पौध	1.05	पौध	2,100.00
3	पौध ढुलान कार्य	2000	पौध	6.50	पौध	13,000.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	2000	पौध	2.74	पौध	5,480.00
5	निराई-गुडत्राई व मल्विंग (दो बार)	2000	गड्डे	3.00	गड्डे	6,000.00
6	खाद व दवा पर व्यय	2000	गड्डे	21.00	गड्डे	42,000.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखवाव पर व्यय 9 माह	1	हे०	6,870.00	हे०	6,870.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	1	हे०	376.00	हे०	376.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ	1	हे०	277.00	हे०	277.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना					-
	अ- प्रशिक्षण	1	हे०	577.00	हे०	577.00
	ब- प्रोत्साहन	1	हे०	289.00	हे०	289.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	1	हे०	1,327.00	हे०	1,327.00
<b>योग :- द्वितीय चरण</b>						<b>80,896.00</b>
<b>तृतीय चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	7,557.00	हे०	7,557.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
<b>योग -</b>						<b>9,067.00</b>
<b>चतुर्थ चरण :-</b>						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	8,312.70	हे०	8,312.70
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
	<b>योग -</b>					<b>9,822.70</b>
	<b>पंचम चरण</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	9,143.97	हे०	9,143.97
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>10,653.97</b>
	<b>षष्ठम् चरण :-</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	10,058.36	हे०	10,058.36
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>11,568.36</b>
	<b>सप्तम चरण :-</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम् वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	11,064.19	हे०	11,064.19
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>12,574.19</b>
	<b>अष्टम चरण :-</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	12,170.60	हे०	12,170.60
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>13,680.60</b>
	<b>नवम् चरण</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	13,387.66	हे०	13,387.66
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>14,897.66</b>
	<b>दशम् चरण</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम् वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	14,726.42	हे०	14,726.42
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>16,236.42</b>
	<b>कुल योग :-</b>					<b>242,322.90</b>

मक डिस्पोजल के सापेक्ष प्रभावित कुल प्रभावित होने वाले वृक्षों की सं० 325 एवं 10 गुना करने पर 3250 पौध -

242322.9/2000x3250

10 गुना वृक्षों के सापेक्ष आवश्यक धनराशि -

393,775.00 Rs

*(Handwritten Signature)*

उप वन संरक्षक  
टौन्स वन प्रभाग,  
पुसेला

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

मोटर मार्ग निर्माण में काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दोगुने अवनत क्षेत्रफल में क्षतिपूरके वृक्षारोपण हेतु आंकलन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- डामटी सिविल

क्षेत्रफल है0 :-

11.265 हे0

वृक्षारोपण व्यय प्रति है0 (2000 पौघ)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे0	120.00	हे0	120.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	हे0	1,578.00	हे0	1,578.00
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फेन्सिंग) 84 घन मी0 प्रति है0	84	घन मी	291.00	हे0	24,444.00
4	मृदा जल संरक्षण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण	1	न0	9,150.00	सं0	9,150.00
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	2000	गड्डे	7.40	गड्डे	14,800.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे0	485.00	हे0	485.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत	2000	पौघ	5.93	पौघ	11,860.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, संयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1	हे0	489.00	हे0	489.00
<b>योग :- प्रथम चरण</b>						<b>62,926.00</b>
<b>द्वितीय चरण</b>						
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	2000	गड्डे	1.30	गड्डे	2,600.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिशत	2000	पौघ	1.05	पौघ	2,100.00
3	पौघ ढुलान कार्य	2000	पौघ	6.50	पौघ	13,000.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	2000	पौघ	2.74	पौघ	5,480.00
5	निराई-गुडत्राई व मल्विंग (दो बार)	2000	गड्डे	3.00	गड्डे	6,000.00
6	खाद व दवा पर व्यय	2000	गड्डे	21.00	गड्डे	42,000.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखवाव पर व्यय 9 माह	1	हे0	6,870.00	हे0	6,870.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	1	हे0	376.00	हे0	376.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ	1	हे0	277.00	हे0	277.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना					-
	अ- प्रशिक्षण	1	हे0	577.00	हे0	577.00
	ब- प्रोत्साहन	1	हे0	289.00	हे0	289.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौघ ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	1	हे0	1,327.00	हे0	1,327.00
<b>योग :- द्वितीय चरण</b>						<b>80,896.00</b>
<b>तृतीय चरण</b>						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	7,557.00	हे0	7,557.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे0	1,510.00	हे0	1,510.00
<b>योग -</b>						<b>9,067.00</b>
<b>चतुर्थ चरण :-</b>						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	8,312.70	हे0	8,312.70
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य	1	हे0	1,510.00	हे0	1,510.00

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
	<b>योग -</b>					<b>9,822.70</b>
	<b>पंचम चरण</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	9,143.97	हे०	9,143.97
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>10,653.97</b>
	<b>षष्ठम् चरण :-</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	10,058.36	हे०	10,058.36
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>11,568.36</b>
	<b>सप्तम चरण :-</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम् वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	11,064.19	हे०	11,064.19
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>12,574.19</b>
	<b>अष्टम चरण :-</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	12,170.60	हे०	12,170.60
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>13,680.60</b>
	<b>नवम् चरण</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	13,387.66	हे०	13,387.66
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>14,897.66</b>
	<b>दशम् चरण</b>					-
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम् वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	14,726.42	हे०	14,726.42
2	अग्नि सुरक्षा कार्य।	1	हे०	1,510.00	हे०	1,510.00
	<b>योग -</b>					<b>16,236.42</b>
	<b>कुल योग :-</b>					<b>242,322.90</b>

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० -

242,322.90 Rs

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दोगुने अवनत

क्षेत्रफल में आवश्यक धनराशि  $-2 \times 5.6325 \times 2 = 11.265$  है० @210862.00

2729767.46 say

दोगुने अवनत क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि-

**2729767.00 Rs**

*[Signature]*  
उप वन संरक्षक  
टौन्स वन प्रभाग,  
पुरोला